

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 1998

संख्या सा० का० नि० 119/संवि०/अनु० 309/98.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा ग्रामीण विकास निदेशालय विभाग (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :--

भाग I—सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. (1) ये नियम हरियाणा ग्रामीण विकास निदेशालय विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं।

(2) ये उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं :

2. इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- (क) "आयोग" से अभिप्राय है कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा;
- (ख) "निदेशक" से अभिप्राय है निदेशक ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा;
- (ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
- (घ) "सरकार" से अभिप्राय है प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;
- (ङ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था;

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निर्गमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) 15 अगस्त 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा राज्य (ग्रुप ग) सेवा।

भाग II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने अथवा विभिन्न पदों में और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी या अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रियता, अधिवास, तथा चरित्र :

4. (i) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

- (क) भारत का नागरिक; या
- (ख) नेपाल की प्रजा; या
- (ग) भूटान की प्रजा; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीवार), जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ;

परन्तु (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रथम को ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में, पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो उसे आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले की 1 जनवरी, के प्रथम दिन को सत्रह वर्ष से कम और पैंतीस वर्ष से अधिक की आयु का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में किसी भी पद पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जायेंगी।

योग्यताएं :

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर, तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में उल्लिखित तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में आयोग तथा अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग के विवेक पर 50 प्रतिशत तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

अयोग्यताएं :

8. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया या विवाह की संविदा कर ली है ;

सेवा में किसी भी पद पर, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग :

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी :—

(क) अनुभाग अधिकारी (एस० ए० एस०) की दशा में,—

(i) वित्त विभाग से स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) सहायक परियोजना अधिकारी की दशा में,—

(i) सहायकों में से पदोन्नति द्वारा;

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

- (ग) निजी सहायक की दशा में,—
- (i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (घ) तकनीकी सहायक की दशा में,—
- (i) अन्वेषकों में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (ङ) प्रोग्रामर की दशा में,—
- (i) सहायक प्रोग्रामरों में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (ii) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (च) सहायक/खजांची की दशा में,—
- (i) लिपिकों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों या आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा;
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (छ) अन्वेषकों की दशा में,—
- (i) कम्प्यूटरों में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (ii) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (ज) सहायक प्रोग्रामर की दशा में,—
- (i) सीधी भर्ती द्वारा;
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (झ) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों की दशा में,—
- (i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(क) कनिष्ठ लेखा परीक्षक की दशा में,—

- (i) लिपिकों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों या आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ख) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों की दशा में,—

- (i) 80 प्रतिशत आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा; तथा
- (ii) 20 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ग) चालकों की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ;
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(घ) आशुटंककों की दशा में,—

- (i) 20 प्रतिशत लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; तथा
- (ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ङ) लिपिकों की दशा में,—

- (i) 20 प्रतिशत ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा; तथा
- (ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ण) कम्प्यूटर की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(त) पोतेदार की दशा में,—

(i) सेवादारों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) सेवा में जब कोई रिक्ति होती है अथवा होने वाली होती है तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी रीति निर्धारित करेगा जिसमें पद भरा जाना है ।

(3) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, सभी पदोन्नतियां ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिए हक प्रदान नहीं करेगी।

परिचीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिचीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर अतीत की गई कोई अवधि परिचीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में; सेवा में नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष, अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिचीक्षा-अवधि की अवधि गतने विहित की जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिचीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिचीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान, किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिबलित कर सकता है; अथवा

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है तो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों अनुज्ञात करें।

(iii) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है;

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति या नियुक्त किया गया हो तो, स्थायी रिक्ति की होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है, कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उस की सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिबलित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बंदा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों वहां प्रत्येक संवर्ग के लिये ज्येष्ठता हों अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी-भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय प्रायोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किये गये थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमाल ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवा काल, भी, समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है, —

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विषयविद्यालय ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को, उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा के अधीन प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इस नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम

प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हो, अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

14. अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर तथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधि-कारी, तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा जो नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार, किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा निदेश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तत्त्व-विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहां, सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन समय-समय पर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।
निरसन तथा व्यावृत्ति।

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा, निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित किये गये नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया अथवा की गई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	अनुभाग अधिकारी (एस० ए० एस०)	..	4	4	2000-60-2300 द० रो० 75-3200+ 100 विशेष वेतन रुपये
2	सहायक परियोजना अधिकारी	..	5	5	1640-60-2600-द० रो० 75- 2900 रुपये
3	निजी सहायक	..	1	1	1640-60-2600 द० रो० 75-2900 रुपये
4	तकनीकी सहायक	..	1	1	1640-60-2600 द० रो० 75-2900 रुपये
5	प्रोग्रामर	..	1	1	1640-60-2600 द० रो० 75-2900 रुपये
6	सहायक/कैशियर	..	9	9	1400-40-1600-50-2300 द० रो० 60-2600 रुपये
7	अन्वेषक	..	2	2	1400-40-1600-50-2300 द० रो० 60-2600 रुपये
8	सहायक प्रोग्रामर	..	1	1	1400-40-1600-50-2300 द० रो० 60-2600 रुपये
9	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	..	1	1	1400-40-1600-50-2300 द० रो० 60-2600 रुपये
10	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	..	1	1	1400-40-1600-50-2300 द० रो० 60-2600 रुपये

1	2	3	4	5	6
11	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	..	6	6	1200-30-1560 द० रो० 40-2040 + 200 रुपये विशेष वेतन
12	चालक	..	5	5	1200-30-1560-द० रो० 40-2040 + 200 विशेष वेतन रुपये।
13	आशुटकक	..	5	5	950-20-1150 द० रो० 25-1500 + 100 विशेष वेतन रुपये
14	लिपिक	..	13	13	950-20-1150 द० रो० 25-1500 रुपये
15	कम्प्यूटर	..	2	2	950-20-1150 द० रो० 25-1500 रुपये
16	पोतेदार	..	1	1	950-20-1150 द० रो० 25-1500 रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो।
1	2	3	4
1	अनुभाष अधिकारी (एस० ए० एस०)	—	अपने मूल विभाग में यथा लागू।
2	सहायक परियोजना अधिकारी	—	पदोन्नति द्वारा— (i) सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) स्नातक ; (ii) सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
3	निजी सहायक	—	पदोन्नति द्वारा— (i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) स्नातक ; (ii) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

1	2	3	4
4	तकनीकी सहायक	—	पदोन्नति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से अर्थशास्त्र/सांख्यिकीय में बी० ए०/एम० ए० ; (ii) अन्वेषक के रूप में आंकड़ों के संग्रहण संकलन विश्लेषण में दो वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से अर्थशास्त्र/सांख्यिकीय में बी० ए०/एम० ए० ; (ii) अन्वेषक के रूप में आंकड़ों के संग्रहण संकलन विश्लेषण में दो वर्ष का अनुभव ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
5.	प्रोग्रामर	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित तथा विज्ञान में स्नातक या इसके समकक्ष ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लिकेशन/प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा/सर्टीफिकेट	पदोन्नति द्वारा— (i) सहायक प्रोग्रामर के रूप में कम्प्यूटर, डाटा एन्ट्री और कम्प्यूटर एप्लिकेशन/प्रोग्रामिंग में एक वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से गणित तथा विज्ञान में स्नातक या इसके समकक्ष ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन/प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा/सर्टीफिकेट ; (iii) कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री और कम्प्यूटर एप्लिकेशन/प्रोग्रामिंग में एक वर्ष का अनुभव ; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

1	2	3	4
6.	सहायक/खजांची	—	पदोन्नति द्वारा— (i) लिपिक, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक या आशुटंकक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) सहायक/खजांची के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
7.	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/सांख्यिकीय/गणित में बी० ए० ; (ii) आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और विश्लेषण में एक वर्ष का अनुभव ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	—	पदोन्नति द्वारा— (i) मैट्रिक ; (ii) कम्प्यूटर के रूप में सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और विश्लेषण का पांच वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व- विद्यालय से अर्थशास्त्र/सांख्यिकीय/ गणित में बी० ए० ; (ii) आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और विश्लेषण में एक वर्ष का अनुभव ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
8	सहायक प्रोग्रामर (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व- विद्यालय से स्नातक ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में डिप्लोमा/सर्टीफिकेट ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	—	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में डिप्लोमा/सर्टीफिकेट ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

1	2	3	4
9	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	—	<p>पदोन्नति द्वारा—</p> <p>(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपिक और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 80 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;</p> <p>टिप्पणी:—टाईप किये मसौदे में चार प्रतिशत गलतियां अनुज्ञात होंगी।</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—</p> <p>(i) स्नातक/मैट्रिक प्रथम श्रेणी/हायर सेकेंडरी द्वितीय श्रेणी/इन्टर मिडियेट द्वितीय श्रेणी तथा 10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या इसके समकक्ष ;</p> <p>(ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपिक और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;</p>

1	2	3	4
10	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से बी० काम० या उसके समकक्ष ;</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;</p>	<p>पदोन्नति द्वारा</p> <p>(i) लिपिक, कनिष्ठ वेतनमान आशु-लिपिक, आशुटंकक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी० काम० या इसके समकक्ष ;</p> <p>(ii) लिपिक, कनिष्ठ आशुलिपिक या आशुटंकक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;</p>
11	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	<p>(i) स्नातक/मैट्रिक प्रथम श्रेणी/हायर मैकेण्डरी द्वितीय श्रेणी/इन्टरमिडियट द्वितीय श्रेणी तथा 10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या इसके समकक्ष ; (भूतपूर्व सैनिकों के लिये केवल मैट्रिक)</p> <p>(ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;</p>	<p>पदोन्नति द्वारा</p> <p>(i) आशुटंकक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;</p>

1 2

3

4

टिप्पणी:—टाईप किये मसौदे में 8 प्रति-
शत गलतियां ही अनुज्ञात
होंगी।

टिप्पणी:—8 प्रतिशत टाईप सामग्री
में अनुज्ञात होंगी।

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का
ज्ञान।

स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति द्वारा —

(i) स्नातक/मैट्रिक प्रथम श्रेणी/हायर
सेकेंडरी द्वितीय श्रेणी/इन्टरमिडियट
द्वितीय श्रेणी तथा 10+2
(व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या
इसके समकक्ष ;

(ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से
अंग्रेजी भाषुलिपि और 20 शब्द
प्रति मिनट की गति से उसका प्रति
लेखन और 80 शब्द प्रति मिनट
की गति से हिन्दी भाषुलिपि और
15 शब्द प्रति मिनट की गति से
उसका प्रतिलेखन ;

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का
ज्ञान।

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा —

12 पासक

(i) आटोमोबाईल वाहन कार/जीप
चलाने का पांच वर्ष की चालक
अनुज्ञप्ति ;

(i) आटोमोबाईल वाहन कार/जीप
चलाने का पांच वर्ष की चालक
अनुज्ञप्ति ;

(ii) हिन्दी तथा अंग्रेजी पढ़ना लिखना
जानता हो ;

(ii) हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ना लिखना
जानता हो ;

(iii) मैट्रिक पास को प्राथमिकता दी
जायेगी।

(iii) मैट्रिक पास को प्राथमिकता दी
जायेगी।

1	2	3	4
			पदोन्नति द्वारा—
13	आशुटंकक	(i) स्नातक/मैट्रिक प्रथम श्रेणी/ हायर सेकेंडरी द्वितीय श्रेणी/ इन्टरमीडियट द्वितीय श्रेणी तथा 10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या इसके समकक्ष ;	(i) लिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव ;
		(ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रतिलेखन और 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रति- लेखन ;	(ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रतिलेखन और 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;
		टिप्पणी:—टाईप मशीनें में 18 प्रतिशत गलतियां ही अनुज्ञात होंगी ।	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा
		(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(i) स्नातक/मैट्रिक प्रथम श्रेणी/हायर सेकेंडरी द्वितीय श्रेणी/इन्टर मीडियट द्वितीय श्रेणी तथा 10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या इसके समकक्ष ; (भूतपूर्व सैनिकों के लिये केवल मैट्रिक) (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रति- लेखन और 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

1.	2.	3.	4.
14	लिपिक		पदोन्नति द्वारा —
		(i) स्नातक/मैट्रिक प्रथम श्रेणी/ हायर सैकेण्डरी द्वितीय श्रेणी/इन्टर- मिडियट द्वितीय श्रेणी 10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या इसके समकक्ष ; (भूतपूर्व सैनिकों के लिये केवल मैट्रिक)	(i) मैट्रिक ;
		(ii) अंग्रेजी तथा हिन्दी 30/25 शब्द प्रति मिनट की टाईप की गति ;	(ii) ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (भूतपूर्व सैनिकों के लिये केवल मैट्रिक)
		(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iii) हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं निदेशक द्वारा संचालित दसवें स्तर तक की विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ;
			(iv) अंग्रेजी तथा हिन्दी टाईप में 30/25 शब्द प्रति मिनट की गति तथा टाईप टेस्ट पास करने के बाद ही वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये हकदार होगा ;
			(v) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा —
			(i) स्नातक/मैट्रिक स्तर प्रथम श्रेणी/ हायर सैकेण्डरी द्वितीय श्रेणी/ इन्टर मिडियट द्वितीय श्रेणी/10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या इसके समकक्ष ; (भूतपूर्व सैनिकों के लिये केवल मैट्रिक)
			(ii) अंग्रेजी तथा हिन्दी टाईपिंग में 30/25 शब्द प्रति मिनट की गति तथा टाईप टेस्ट पास करने के बाद ही वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये हकदार होगा ;
			(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

1	2	3	4
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—
15	कम्प्यूटर	(i) स्नातक/मैट्रिक प्रथम श्रेणी/ हायर सेकेण्डरी द्वितीय श्रेणी/ इन्टर मिडियट द्वितीय श्रेणी/ 10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या इसके समकक्ष ; (भूतपूर्व सैनिकों के लिये केवल मैट्रिक) (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	(i) स्नातक/मैट्रिक प्रथम श्रेणी/हायर सेकेण्डरी द्वितीय श्रेणी/इन्टर- मिडियट द्वितीय श्रेणी/10+2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या इसके समकक्ष ; (भूतपूर्व सैनिकों के लिये केवल मैट्रिक) (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; पदोन्नति द्वारा—
16	पोतेदार	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक या उसके समकक्ष ।	(i) आठवीं पास या इसके समकक्ष योग्यता ।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप	दण्ड अधिकारी	अपील अधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुभाग अधिकारी (एस०ए० एस०)	निदेशक	1. छोटी शास्तियां— (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;	निदेशक	सरकार	—
2	सहायक परियोजना अधिकारी					
3	निजी सहायक		(ii) परिनिन्दा ;			
4	प्रोग्रामर		(iii) पदोन्नति रोकना ;			
5	तकनीकी सहायक		(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन करने द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का या ऐसी कम्पनी, संगम व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद			
6	सहायक खर्चांची					
7	अन्वेषक					
8	सहायक प्रोग्रामर					
9	वरिष्ठ वेतनामन आशुलिपिक					

1	2	3	4	5	6	7
10	कनिष्ठ लेखा परीक्षक		या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित	निदेशक	सरकार	—
11	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक		किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्व- विद्यालय को हुई धन राशि सम्बन्धी			
12	चालक		हानि की पूरी या उसके भाग की			
13	आशुटंकक		वेतन से बसूली ;			
14	लिपिक	(v)	संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;			
15	कम्प्यूटर					
16	पोतेदार	2. बड़ी शास्तियां—				
		(vi)	संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ;			
		(vii)	किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्म- चारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्वगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;			

1	2	3	4	5	6	7
			(viii) निम्नतर वेतन-	निदेशक	सरकार	—
			मान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अव- नति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतन मान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे यह अवगत किया गया था, पदोन्नति के लिये साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उस की व्युष्टता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा ;			
			(ix) अनिर्धार्य सेवा निवृत्ति ;			
			(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार अधीन आवी नियोजन के लिये निर्हरता नहीं होगी ;			

1	2	3	4	5	6	7
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निर्हरता होगी।	निदेशक	सरकार	

टिप्पणी:—जहां तक अनुभाग अधिकारी के पद का सम्बन्ध है शास्तियां उनके पैतृक विभाग में सेवा नियमों के अनुसार लगाई जायेंगी।

परिशिष्ट घ
[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1	सहायक परियोजना अधिकारी	(i) पैशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	निदेशक	सरकार	---
2	निजी सहायक	(ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।			
3	प्रोग्रामर				
4	तकनीकी सहायक				
5	सहायक /खजांची				
6	अन्वेषक				
7	सहायक प्रोग्रामर				
8	वरिष्ठ आशुलिपिक				
9	कनिष्ठ लेखा परीक्षक				
10	कनिष्ठ आशुलिपिक				
11	चालक				
12	आशुटंकक				
13	लिपिक				
14	कम्प्यूटर				
15	पोतेदार				

टिप्पणी:—जहां तक अनुभाग अधिकारी के पद का सम्बन्ध है, शास्तियां उसके पैतृक विभाग में सेवा नियमों के अनुसार लगाई जायेंगी ।

वी० डी० हालिया,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
DIRECTORATE OF RURAL DEVELOPMENT

Notification

The 24th April, 1998

No. G.S.R. 191/Const./Art. 369/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Directorate of Rural Development (Group C) Service, namely :—

PART—GENERAL

Short title and commencement:

1. (1) These rules may be called the Haryana Directorate of Rural Development (Group C) Service Rules, 1998.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

Definitions:

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Commission” means the Staff Selection Commission, Haryana ;
 - (b) “Director” means the Director of Rural Development, Haryana ;
 - (c) “direct recruitment” means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government ;
 - (d) “Government” means the Haryana Government in the Administrative Department ;
 - (e) “institution” means,—
 - (i) any institution established by law-in-force in the State of Haryana ; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;
 - (f) “recognised university” means,—
 - (i) any university incorporated by law in India ; or
 - (ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ; or

- (iii) any other University which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules ;
- (g) "Service" means the Haryana Rural Development Department (Group C) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts:

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service:

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—
- (a) a Citizen of India ; or
 - (b) a subject of Nepal ; or
 - (c) a subject of Bhutan ; or
 - (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or
 - (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c) (d) or (e) shall be person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the University, College, School or institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age:

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty-five years of age, on or before 1st day of January next preceding the last date of submission of applications to the Commission.

Appointing authority:

6. Appointments to any post in the Service shall be made by the Director.

Qualifications:

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment, otherwise than by direct recruitment :

Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, ex-servicemen and physically handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reason for so doing in writing.

Disqualifications:

8. No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment:

9. Recruitment to Service shall be made,—

- (a) in case of Section Officer (SAS),—

By transfer or deputation from Finance Department ;

- (b) in case of Assistant Project Officer,—

- (i) by promotion from amongst Assistants ; or

- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

- (c) in case of Personal Assistant,—

- (i) by promotion from amongst Senior Scale Stenographers ; or

- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

- (d) in case of Technical Assistant,—

- (i) by promotion from amongst Investigators ; or

- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

-
- (e) in case of Programmer,—
- (i) by promotion from amongst Assistant Programmer ; or
 - (ii) by direct appointment ; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (f) in case of Assistant/Cashier,—
- (i) by promotion from amongst Clerks, Junior Scale Stenographers or Stenotypists ; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (g) in case of Investigator,—
- (i) by promotion from amongst Computers ; or
 - (ii) by direct appointment ; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (h) in case of Assistant Programmer,—
- (i) by direct recruitment ; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (i) in case of Senior Scale Stenographer,—
- (i) by promotion from amongst Junior Scale Stenographers ; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (j) in case of Junior Auditors,—
- (i) by promotion from amongst Clerks, Junior Scale Stenographers or Stenotypists ; or
 - (ii) by direct recruitment ; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (k) in case of Junior Scale Stenographers,—
- (i) 80% by promotion from amongst Stenotypists ; and

-
- (ii) 20% by direct appointment ; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
 - (l) in case of Drivers,—
 - (i) by direct recruitment ; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
 - (m) in case of Stenotypists,—
 - (i) 20% by promotion from amongst Clerks in the service ;
 - (ii) 80% by direct recruitment ; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
 - (n) in case of Clerks,—
 - (i) 20% by promotion from amongst Group 'D' employees ;
 - (ii) 80% by direct appointment ; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
 - (o) in case of Computer,—
 - (i) by direct appointment ; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
 - (p) in case of Potedar,—
 - (i) by promotion from amongst Peons ; or
 - (ii) by direct recruitment ; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (2) When any vacancy occurs or is about to occur in the service the appointing authority shall determine the manner in which it is to be filled in.
- (3) All promotions, unless otherwise provide, shall made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation:

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years. If appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that,—

- (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory,—

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services ; and
- (b) if such person is appointed other than by direct recruitment, —
 - (i) revert him to his former post ; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may, —

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory, —
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactory if there is no permanent vacancy ; or
- (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—
 - (i) dispense with his Services if appointed by direct recruitment or revert, him to his former post or deal the him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit, if appointed otherwise ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order as it could have passed on the expiry of the first period of probation :
Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority

11. Seniority *inter se* of members of the service, shall be determined by the length of continuous service on any post in the service :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately on each cadre :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date their seniority shall be determined as follows:—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointment from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by their length of service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to Serve

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority ;

(2) A member of the Service may also be deputed to serve as under :—

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana. ;
- (ii) the Central Government or a Company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matter.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations

as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State legislature.

Discipline, penalties and appeals :

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeal, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

2 The authority competent to pass an order under clause (c) or Clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the service shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons any other class of category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time, under clause (4) of article 16 of the Constitution of India.

Repeal and savings.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Serial No.	Designation of posts	Number of posts			Scale of pay
		Perma- nent	Tempo- rary	Total	
1	2	3	4	5	6
					Rs.—
1	Section Officer	—	4	4	2000—60—2300—EB—75 3200 + 100 Special Pay.
2	Assistant Project Officer	—	5	5	1640—50—2900—EB—75— 2900
3	Personal Assistant	—	1	1	1640—60—2600—EB—75— 2900
4	Technical Assistant	—	1	1	1640—60—2600—EB—75— 2900
5	Programmer	—	1	1	1640—60—2600—EB—75— 2900
6	Assistant/Cashier	—	9	9	1400—40—1600—50—2300 EB—60—2600
7	Investigator	—	2	2	1400—40—1600—50—2300 EB—60—2600
8	Assistant Programmer	—	1	1	1400—40—1600—50—2300— —EB—60—2600
9	Senior Scale Steno- grapher	—	1	1	1400—40—1600—50—2300— —EB—60—2600
10	Junior Auditor	—	2	2	1400—40—1600—50—2300— EB—60—2600
11	Junior Scale Stenographer	—	6	6	1200—30—1560—EB—40— 2040
12	Driver	—	5	5	1200—30—1560—EB—40— 2040
13	Steno-typist	—	5	5	950—20—1150—EB—25—1500 +100 Special Pay
14	Clerk	—	13	13	950—20—1150—EB—25— 1500
15	Computer	—	2	2	950—20—1150—EB—25— 1500
16	Potedar	—	1	1	950—20—1150—EB—25— 1500

APPENDIX B

(See rule 7)

Serial No.	Designation of posts	Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Section Officer	—	As per applicability in their parent department.
2	Assistant Project Officer	—	By promotion : (i) Five years experience as Assistant ; By transfer or deputation : (i) Graduate ; (ii) Five years experience as Assistant ; (iii) Hindi upto matric standard.
3	Personal Assistant	—	By promotion : (i) Three years experience as Senior Scale Stenographer ; By transfer or deputation : (i) Graduate ; (ii) Three years experience as Senior Scale Stenographer ; (iii) Hindi up to matric standard.
4	Technical Assistant	—	By promotion : (i) BA/MA in Economics/ Statistics from a recognised university ; (ii) Two years experience in Collection/Compilation Analysis of Data as investigator ;

1	2	3	4
			By transfer or deputation ; (i) BA/MA in Economics/ Statistics from a recognised university ; (ii) Two years experience in Collection/Compilation Analysis of Data as Investigator; (iii) Hindi upto Matric standard.
5	Programmer	(i) Graduate with Mathematics and Science from a recog- nised university or its equivalent ; (ii) Diploma/Certificate in Computer Application/Pro- gramming from a recognised institute.	By promotion : One year experience in Computer Data Entry and Computer Application Programming etc. as Assistant Programmer. By transfer or deputation ; (i) Graduate with Mathematics and Science from a recognised university or its equivalent ; (ii) Diploma/Certificate in Computer Application/Pro- gramming from a recognised institute ; (iii) One year experience in Computer Data Entry and Computer Application Pro- gramming etc ; (iv) Hindi upto Matric standard.
6	Assistant/Cashier		By promotion ; (i) Five years experience as Clerk, Junior Scale Steno- grapher or Stenotypist. By transfer or deputation ; (i) Five years experience as Assistant/Cashier ; (ii) Hindi upto Matric standard.
7	Investigator	(i) BA in Economics/Statistics/ Mathematics from a recognised university ; (ii) One year experience in Collection/Compilation Analysis of Data ;	By promotion ; (i) Matric ; (ii) Five years experience in Collection/Compilation Analysis of Data in relation to Statistics as Computer ;

1	2	3	4
		(iii) Hindi upto Matric standard.	By transfer or deputation ; (i) BA in Economics/Statistics Mathematics from a recognised university ; (ii) One year experience in Collection/Compilation Analysis of Data ; (ii) Hindi upto Matric standard.
8 Assistant Programmer		(i) Graduate from a recognised university ; (ii) Diploma/Certificate in Computer Application from a recognised institute ; (iii) Hindi upto Matric standard.	By transfer or deputation ; (i) Graduate from a recognised university (ii) Diploma/Certificate in Computer Application from recognised institute ; (iii) Hindi upto Matric standard.
9 Senior Scale 1 Stenographer		—	By promotion ; (i) Three years experience as Junior Scale Stenographer. (ii) English shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription thereof at a speed of 20 words per minute and Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute. Note:—4 percent mistakes on the typed material will be allowed. By transfer or deputation ; (i) Graduate/Matric 1st division/ Higher Secondary 2nd division/ Intermediate 2nd division/10+2 (Vocational) 2nd division or its equivalent ; (ii) English shorthand at a speed of 100 words per minute and

1	2	3	4
			transcription thereof at 20 words per minute and Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute ;
			(iii) Hindi up to Matric standard.
10	Junior Auditor	(i) B. Com from a recognised university or its equivalent ; (ii) Hindi upto Matric standard	By promotion : Three years experience as Clerk, Junior Scale Stenographer or Stenotypist. By transfer or deputation : (i) B. Com from a recognised university or its equivalent ; (ii) Three years experience as Clerk, Junior Scale Stenographer or Stenotypist ; (iii) Hindi up to Matric standard.
11	Junior Scale Stenographer	(i) Graduate/Matric 1st Division/Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd Division/10+2 (vocational) 2nd Division or its equivalent ; (For Ex-Servicemen matric only) (ii) English shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription thereof at a speed of 20 words per minute and Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute ; Note.—5 percent mistakes on the typed material will be allowed. (iii) Hindi up to Matric standard.	By promotion : (i) Two years experience as Stenotypist ; (ii) English shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription thereof at a speed of 20 words per minute and Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute ; Note :—5 per cent mistakes on the types material will be allowed. By transfer or deputation : (i) Graduate/Matric 1st division/ Higher Secondary 2nd division/ Intermediate 2nd division/10+2 (Vocational) 2nd division or its equivalent ; (ii) English shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription thereof at a

1	2	3	4
			speed of 20 words per minute and Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute ;
			(iii) Hindi up to Matric standard
12	Driver	(i) Five years driving licence in automobile vehicles Car/Jeep ; (ii) Can read w and write Hindi and English ; (iii) Matriculate is preferable.	By transfer or deputation: (i) Five years driving licence in automobile vehicles Car/Jeep ; (ii) Can read and write Hindi and English.
13	Steno Typist	(i) Graduate/Matric 1st Division/Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd Division/10+2(vocational) 2nd Division or its equivalent ; (Ex-Servicemen matric only) (ii) English shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute or Hindi shorthand at a speed of 64 words per minute and transcription thereof at a speed of 11 words per minute ; Note : 10 per cent mistakes on the typed material will be allowed. (iii) Hindi up to Matric standard.	By promotion: (i) One year experience as Clerk ; (ii) English shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute or Hindi shorthand at a speed of 64 words per minute and transcription thereof at a speed of 11 words per minute . By transfer or deputation: (i) Graduate/Matric 1st division/Higher Secondary 2nd division/intermediate 2nd division/10+2 (Vocational) 2nd division or its equivalent ; (For Ex-Serviceman Matric only) (ii) English shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute or Hindi shorthand at a speed of 64 words per minute and transcription thereof at a speed of 11 words per minute ; (iii) Hindi up to Matric standard.
14	Clerk	(i) Graduate/Matric 1st Division/Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd Division/10+2 (vocational) 2nd Division or its equivalent;	By promotion ; (i) Matric ; (ii) Five years experience as Group D employee ;

1	2	3	4
	(Ex-Servicemen Matric only)	(Ex-Servicemen Matric only).	
	(ii) English and Hindi typing at the speed of 30/25 words per minute ;	(iii) To pass departmental written test of Hindi and English languages of the Matriculation level to be conducted by the Director ;	
	(iii) Hindi up to Matric standard ;	(iv) English and Hindi typing at the speed of 30/25 words per minute and will be entitled for annual increment only after qualifying the type test.	
	(iv) English and Hindi typing at the speed of 30/25 words per minute and will be entitled for annual increment only after qualifying the type test.	(v) Hindi up to matric standard. By transfer or deputation:	
		(i) Graduate/Matric 1st Division/ Higher Secondary 2nd Division/ Intermediate 2nd Division/10+2 (vocational) 2nd division or its equivalent ;	
		(Ex-Servicemen Matric only).	
		(ii) English and Hindi typing at the speed of 30/25 words per minute and will be entitled for annual increment only after qualifying the type test ;	
		(iii) Hindi up to Matric standard. By transfer or deputation:	
15 Computer	(i) Graduate/Matric 1st Division/Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd Division/10+2 (vocational) 2nd Division or its equivalent ;	(i) Graduate/Matric 1st Division/ Higher Secondary 2nd Division/ Intermediate 2nd Division/10+2 (vocational) 2nd Division or its equivalent ;	
	(Ex-Servicemen Matric only)	(Ex-Servicemen Matric only).	
	(ii) Hindi upto Matric standard.	(ii) Hindi up to Matric standard.	
16 Potedar	(i) Matriculation or its equivalent of a recognised university or Board ;	By promotion:	
	(ii) Hindi up to Matric standard.	(i) Middle pass or its equivalent ;	
		(ii) Three years experience as Peon	
		By transfer or deputation:	
		(i) Matriculation or its equivalent of a recognised university or Board ;	
		(ii) Hindi up to Matric standard.	

APPENDIX C

[See rule 14(1)]

Serial No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1. Minor Penalties—						
1	Assistant Project Officer	Director	(i) Warning with a copy in the personal file (Character roll) ;	Director	Government	Government
2	Personal Assistant		(ii) Censure ;			
3	Technical Assistant		(iii) withholding of promotion ;			
4	Programmer		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to Central Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of parliament or of the Legislature or a State ;			
5	Assistant/ Cashier					
6	Investigator					
7	Assistant Programmer					
8	Senior Scale Stenographer					
9	Junior Auditor					
10	Junior Scale Stenographer					
11	Driver		(v) withholding of increments of pay without cumulative effect ;			
12	Stenotypis					
13	Clerk		2. Major Penalties—			
14	Computer		(vi) withholding of increments with cumulative effect ;—			
15	Potedar					

1	2	3	4	5	6
			(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments or pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have effect of postponing the future increments of his pay ;		
			(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;		
			(ix) compulsory retirement ;		
			(x) removal from the service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;		
			(xi) dismissal from the service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.		

Note:— As regards post of Section Officer, the penalties shall be imposed in accordance with the service rule of the parent department.

APPENDIX D

[See rule 14 (2)]

Serial No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Project Officer	(i) reducing or withholding	Director	Government	Government
2	Personal Assistant	the amount of ordinary/ additional Pension admissible under the rules governing pension			
3	Technical Assistant				
4	Programmer				
5	Assistant/Cashier				
6	Investigator				
7	Assistant Programmer	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation			
8	Senior Scale Stenographer				
9	Junior Auditor				
10	Junior Scale Stenographer				
11	Driver				
12	Steno-Typist				
13	Clerk				
14	Computer				
15	Potedar				

Note :— As regards post of Section Officer the penalties shall be imposed in accordance with the service rule of the parent department.

B. D. DHALIA,

Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Rural Development Department, Chandigarh.